

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर  
अपील संख्या – 112, 113, 114 व 115/2012/जयपुर  
मैसर्स रामनारायण गर्ग साफावाला, एम.आई.रोड,  
जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्ता-आई, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.  
एकलपीठ  
श्री मदन लाल, सदस्य

### उपस्थित : :

श्री एस.के.जैन,  
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से।

श्री रामकरण सिंह,  
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 12.08.2014

### निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त चार अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स-द्वितीय), जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक-पृथक अपीलीय आदेश दिनांक 19.12.2011 के विरुद्ध पेश की गयी हैं जो कमशः अपील संख्या 148, 147, 146 व 145/अपील्स-II/आर.वी.एस.टी./जयपुर/बी/2011-12 के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्ता-आई, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 2008-09 व 2009-10 के लिये जरिये पृथक-पृथक निर्धारण आदेश दिनांक 31.05.2011 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर, प्रकरणों को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरणों को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

अपील संख्या	निर्धारण वर्ष	आरोपित कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि	मांग
112/2012	2006-07	2,19,069/-	1,25,454/-	4,38,138/-	7,82,661/-	
113/2012	2007-08	2,50,408/-	1,12,934/-	5,00,815/-	8,64,157/-	
114/2012	2008-09	2,53,759/-	83,487/-	5,00,815/-	8,44,764/-	
115/2012	2009-10	38,129/-	7,905/-	76,257/-	1,22,291/-	

लगातार.....2

चूंकि चारों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः चारों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 02.12.2010 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण जांच पर, यह पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा शेरवानी, साफा, कमरबंद, गठजोड़ा एवं दूल्हे व दुल्हनों के सूट का क्य-विक्य व किराये पर देने का व्यवसाय किया जाता है। वक्त सर्वेक्षण जांच पर यह भी पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दूल्हे की शेरवानी, साफा, कमरबंद का क्य राज्य एवम् एवम् राज्य के बाहर से किया जाकर इनका विक्य भी किया जाता है। जांच पर यह भी पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दूल्हे के साफे, शेरवानी, कमरबंद आदि को ऑर्डर फार्म में दर्ज कर, ग्राहकों से किराये की राशि प्राप्त इन्हें ग्राहकों को किराये पर दिया जाता है जिसे विवाह के सम्पन्न होने पर किराये पर लिये गये साफे, शेरवानी, कमरबंद आदि ग्राहकों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को वापस कर दिये जाते हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी फर्म को जून, 2010 से बंद कर दिया गया था तथा फर्म को माल सहित मैसर्स रामनारायण गर्ग साफा वाला प्रा.लि. को विक्य कर दिया गया था। मैसर्स रामनारायण गर्ग साफा वाला प्रा.लि. द्वारा इस फर्म में कार्य दिनांक 15.03.2010 से प्रारंभ किया गया तथा इनके द्वारा किराये पर दिये गये सामान पर कर (वेट) वसूल कर, राजकोष में जमा करवाया गया है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में प्राप्त किराया राशियों को विक्य होना अवधारित किया गया। इसके आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया जिसके पश्चात् प्रकरण निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किराया राशि को अधिनियम की धारा 2(19) व 2(35)(iv) के तहत प्राप्त किराया राशि को विक्य होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 25, 26, 61 व 75 के तहत नोटिसेज जारी कर, उक्त विक्य पर करारोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर व आलोच्य अवधियों में किये गये विक्य को विक्य प्रपत्रों में घोषित नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दोगुना शास्ति आरोपण की कार्यवाही का प्रस्तावित कर, नोटिसेज किये गये। जारी नोटिसेज की पालना में,

अपील संख्या - 112, 113, 114 व 115/2012/जयपुर  
अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जवाब प्रस्तुत किये गये। जिसे अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा तालिकानुसार मांग राशियां कायम कर, पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश पारित किये गये। उक्त आदेशों से व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को जरिये पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 19.12.2011 के अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्त्रियों को अपारत कर, जूतियों के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार, कलंगी के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार, साफा, कमरबंद, गठजोड़ा व शेरवानी व आगत कर की मुजरा राशि के संबंध में प्रस्तुत अपीलों को स्वीकर कर, प्रकरणों को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह चार अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने का कथन कर, तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किराये पर दी जा रही वस्तुओं को अधिनियम की कतिपय धाराओं को गलत निर्वचन कर, इनका विक्रय होना अवधारित कर, कर व ब्याज का आरोपण किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किराये पर दी गयी जूतियों की 200/- से कम होने के कारण उक्त अधिनियम की अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 58 के आलोक में, करमुक्त है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय की गयी वस्तुयें यथा:- साफा, कमरबंद एवम् गठजोड़ा बनारसी हैण्डलूम कपड़े से बनाये जाते हैं जो अधिनियम की अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 10 के आलोक में, करमुक्त है। विद्वान अभिभाषक ने कलंगी को भी अधिनियम की अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या-10 से आच्छादित होना अवधारित कर, उक्त को करमुक्त होना प्रकट किया। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा शेरवानी ग्राहक द्वारा कपड़ा परसंद करने के पश्चात् उसकी परसंद के अनुसार तैयार की जाती है तथा इस प्रकार से तैयार की गयी शेरवानी उसी व्यक्ति के उपयोग योग्य होती है, अन्य व्यक्ति के लिए यह इस्तेमाल योग्य नहीं रहती है। कथन किया कि शेरवानी की डिलीवरी विक्रय या वापरी के आधार पर होती है यदि ग्राहक द्वारा शेरवानी को लौटा

अपील संख्या - 112, 113, 114 व 115/2012/जयपुर  
दिया जाता है तो उससे माल की क्षति की कीमत वसूल कर ली जाती है।  
इस प्रकार यह विक्रय वापसी है तथा अधिनियम के प्रावधानानुसार 6 माह के  
भीतर वापसी होने के कारण कर योग्य पण्यावर्त का भाग नहीं है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि अपीलार्थी  
व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(19) व 2(35)(iv) के तहत वस्तुओं को  
लीज पर देने का व्यवसाय नहीं किया जाता है। कथन किया कि उक्त वर्णित  
धाराओं में किसी भी उद्देश्य हेतु माल के उपयोग के अधिकार के अंतरण को  
विक्रय माना गया है। कथन किया कि उपयोग के अधिकार के तहत यह भी  
आवश्यक है कि lessee यह अधिकार रखता है कि वस्तु का प्रयोग किस  
प्रकार करेगा तथा इससे आय प्राप्त करने का अधिकार रखता है। विद्वान  
अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे कथन किया कि माननीय विभिन्न न्यायालयों के  
द्वारा दिये गये निर्णय (1990) 77 एसटीसी 182, (2002) 126 एसटीसी 114,  
(1997) 107 एसटीसी पेज 8, (1998) 108 एसटीसी 234 एवं 1999 यूपीटीसी  
966 के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा माल के उपयोग के  
अधिकार के अंतरण पर कर दायित्व का बिन्दु एवं वस्तुओं की प्रकृति के संबंध  
में करमुकित का प्रकरण निर्धारित नहीं किया है क्योंकि धारा 2(19) एवं 2(35)  
(IV) के अनुसार यह आवश्यक है कि लेजी वस्तु को इस्तेमाल करने का  
अधिकार रखता हो एवं इससे कुछ आय भी प्राप्त करे। इस प्रकार व्यवहारी  
इन धाराओं के तहत वस्तुओं की लीज का कारोबार नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त बहस दौरान कथन किया कि साफा, कमरबंद एवं  
गठजोड़ा बनारसी हैंडलूम कपड़े से बने हुये हैं तथा प्रथम अनुसूची की  
प्रविष्टि संख्या 39 एवं 44 तथा प्रविष्टि संख्या-10 एवम् राज्य सरकार द्वारा  
जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-158 दिनांक 31.03.  
2006 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के द्वारा उक्त वस्तुओं को कर  
योग्य वस्तु मानना अनुचित है।

अग्रिम अभिवाक किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो वस्तुयें किराये  
पर दी गयी हैं वे राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्य की गयी हैं जिस पर  
अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आगत कर का मुजरा चाहा नहीं गया है। कथन  
किया कि उक्त के संबंध में क्य इन्वॉयसेज की छाया प्रतियां अपीलीय  
अधिकारी के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी थीं।

विद्वान अभिभाषक ने प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किये गये  
क्षेत्राधिकार को अविधिक होने का कथन कर तर्क दिया कि सर्वेक्षण अधिकारी

अपील संख्या – 112, 113, 114 व 115/2012/जयपुर  
द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध करापवंचन के प्रकरण अविधिक रूप से  
दर्ज किये जाकर, कर देयता कायम की गयी है क्योंकि वक्त सर्वेक्षण  
अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर किसी भी प्रकार के ऐसे कोई  
दस्तावेज नहीं पाये गये थे जो अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध करापवंचन या  
दोषी मनोभाव प्रमाणित करें। मौके पर सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा आयकर  
विभाग में तथा विभाग में प्रस्तुत व्यापार खाते की प्रतियां एकत्रित की गयी  
थीं जिनका लेखा इंद्राज नियमित पुस्तकों में इंद्राज था केवल मात्र निर्वचन  
के आधार पर अन्यथा सौदा व्यवहार मानते हुए क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, ब्याज  
आरोपित किये गये जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण अपास्त  
योग्य हैं।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय  
अभिभाषक ने उपरिथित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर प्रत्यर्थी निर्धारण  
अधिकारी द्वारा पारित पृथक—पृथक आदेश दिनांक 21.11.2013 की ओर  
ध्यानाकर्षित कर कथन किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित  
निर्णय दिनांक 19.12.2011 के द्वारा प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को  
प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने  
प्रतिप्रेषित आदेशों दिनांक 19.12.2011 का निस्तारण कर दिया है। अतः  
प्रकरणों के निस्तारित हो जाने के कारण, विवादाधीन प्रकरण में अपीलीय  
आदेश दिनांक 19.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त अपीलें “सारहीन” हो गयी  
हैं। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:-

- (i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59  
(राज.)
- (ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० केशरीलाल (1991) 9 आर.  
टी.जे.एस 8। (राज.)
- (iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं० (1997)  
20 टैक्स वल्ड 64 (आर.टी.टी.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं०, 38 टैक्स वल्ड 16  
(आर.टी.बी.)
- (v) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स ऊँझा फार्मसी, उदयपुर अपील  
संख्या 2052/2005/उदयपुर 27 टैक्स अपडेट 205 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में कथन किया कि प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" (INFRUCTUOUS) नहीं हुयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :—

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स 119 एस.टी.सी. 376 | (राज.)

2. वा.क.अ. राजसमन्व बनाम् मै० होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली 25 आर.टी.जे.एस.79 | (आर.टी.टी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपीलों को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, उपर्युक्तानुसार दिये गये तर्कों के आधार पर गुणावगुणों पर निर्णित करने की पुनः प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय से पूर्ण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के संबंध में प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात् इस पीठ के विनम्र मतानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स अपडेट 59 व 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक निर्णय 20 टैक्स वल्ड 64 (आर.टी.टी.) तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित निर्णय 38 टैक्स वल्ड 16 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में, आदेश दिनांक 21.11.2013 पारित किये जाने के फलस्वरूप, प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" हो गयी हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, गुणावगुण के बिन्दु पर विचार किये बिना ही उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर, प्रस्तुत अपीलें सारहीन घोषित कर, अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

12.8.2016  
(मदन लाल)  
सदस्य